193

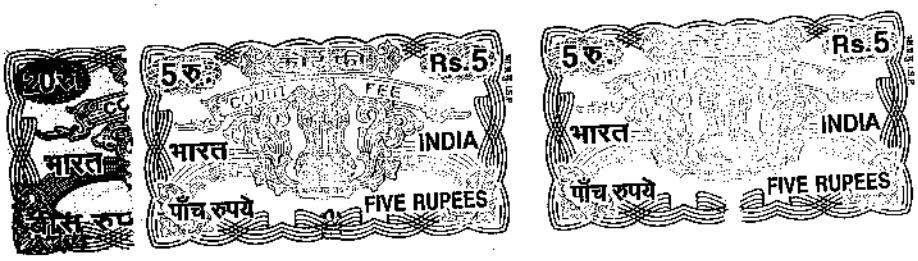

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर,केम्प सागर

निग - 2093 - I - 16

1. राधे तनय रम्मू सौंर
2. श्रीमति गुलाब बाई पत्नि रम्मू सौंर
   निवासी ग्राम रिछौडा तह. व जिला सागर ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म.प्र.शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्र 233/अ-21/15-16 पारित आदेश दिनांक 15/06/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :-

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रिछौडा स्थित भूमि खसरा क्र 35 रकवा 1.920 हे. का आवेदकगण के पिता रम्मू सौंर के भूमिस्वामी स्वामित्व की भूमि है जिसको विक्रय किए जाने हेतु अनुमति प्राप्त हेतु निगरानीकर्तागण द्वारा एक आवेदन पत्र कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें कलेक्टर सागर द्वारा विधि विपरीत आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्ध निगरानीकर्तागण द्वारा एक अपील अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें अपर आयुक्त सागर द्वारा भी विधि विपरीत आदेश पारित किया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्तागण की निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(नितेन्द्र सिंघई एड० सागर 94251-71223)

(n)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग.- 2093.1/16 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-6-16	1– आवेदकगण के अधिवक्ता नितेन्द्र सिंघई उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर म0प्र0 के प्र.क्र. 233/अ–21/वर्ष 15–16 में पारित आदेश दिनांक 15/6/16 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदकगण की कृषि प्रयोजनार्थ भूमि ग्राम रिछौडा स्थित भूमि खसरा क्र 35 रकवा 1.92 हेक्टेयर भूमि आवेदकगण की भूमिस्वामी हक की भूमि है तथा वर्तमान में आवेदकगण के नाम पर दर्ज भूमि है। जिसको विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे कलेक्टर सागर द्वारा निरस्त किया गया है जिसके विरूद्व आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष अपील की गयी जिसे अपर आयुक्त सागर द्वारा भी निरस्त कर दिया गया है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक गण द्वारा जो भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया था वह इस आधार पर दिया गया था कि आवेदकगण की भूमि कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है, इस कारण से वह इस भूमि को विक्रय कर अन्य स्थान पर कृषि योग्य भूमि क्रय करना चाहते हैं जिससे वह अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकें। आवेदकगण का यह भी तर्क है कि चूंकि वह भूमि विक्रय करने के उपरान्त उतनी ही अधिक उससे ज्यादा भूमि क्रय करेंगे इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी बल्कि उनके पास ज्यादा भूमि हो जायेगी। उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि की विक्रय की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत बताते	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं उ आदि के हस
	हुए निगरानी ग्राह्य किये जाने का अनुरोध किया है । 5— आवेदक के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदकगण द्वारा विक्रय की जा रही भूमि आवेदकगण की भूमिस्वामी हक की भूमि है। कलेक्टर सागर ने मुख्य रूप से आवेदकगण को इस प्रकरण में इस आधार पर प्रस्तावित भूमि विक्रय करने की अनुमति देने से इन्कार किया है कि भूमि विक्रय करने के उपरांत आवेदकगण भूमिहीन हो जायेंगे। चूंकि आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया है कि आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय कर उसके स्थान पर विक्रय की जा रही भूमि के बराबर अथवा उससे अधिक अन्य भूमि क्रय करेंगे इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । 6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15—6—16 एंव कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश दिनंक 5—10—2015 निरस्त किया जाता है आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उप पंजीयक विक्रय पत्र संपादित होने के दिनांक को प्रचलित शासन की गाईडलाईन के मान से विक्रयधन विकेता को अदा होने की संतुष्टि कर विक्रय पत्र संपादित करें । सदस्य	